

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क./भा.भु.यो./कृ.प्रो.यो./2019/03/3957
प्रति

भोपाल, दिनांक 31 मई 2019

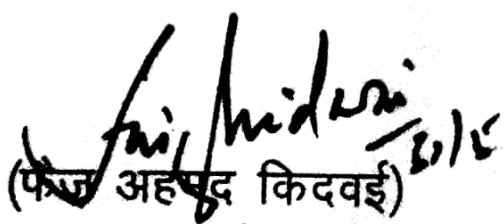
तकनीकी निदेशक,
एन.आई.सी.
विंध्याचल भवन, भोपाल

- विषय :- रबी वर्ष 2019 की मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना अंतर्गत पोर्टल पर प्रवेश एवं अनुबंध पत्रियों की संख्या की संख्यात्मक जानकारी दर्ज करने बावत।
संदर्भ :- म.प्र. शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्रालय भोपाल का ज्ञाप कमांक एफ 6-1/2018/58 भोपाल दिनांक 30.05.2019

समसंख्यक ज्ञाप कमांक दिनांक 30.03.2019 से मुख्यमंत्री कृषक प्याज प्रोत्साहन योजना के निर्देश जारी किये गये थे, को संशोधित करते हुए विस्तृत दिशा-निर्देशा संदर्भित ज्ञाप कमांक से जारी किये गये हैं, जिसकी छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

- संदर्भित पत्र अनुसार प्रदेश में वर्ष 2019-20 में रबी प्याज उत्पादक किसानों को ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन दिनांक 20 मई 2019 से 31 मई 2019 तक की समय सीमा को बढ़ाकर पंजीयन की अंतिम तिथि 07 जून 2019 निर्धारित की गई है।
- योजनांतर्गत मंडी में प्याज के विक्रय संव्यवहार हेतु विक्रय अवधि दिनांक 01 जून 2019 से 30 जून 2019 निर्धारित है।
- पंजीकृत किसानों द्वारा मंडी में प्याज के संव्यवहार पर विक्रय की राशि रूपयें 10000/- से अधिक होने पर भुगतान RTGS/NEFT से अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी द्वारा किसान के बैंक खाते में किया जाना होगा।
- पंजीकृत किसान के द्वारा नियत अवधि में कय-विक्रय के अभिलेखों का परीक्षण तथा सत्यापन कर प्रमाणित जानकारी पोर्टल पर अपलोड किये जाने की जिम्मेदारी संबंधित मंडी सचिव तथा संबंधित कर्मचारियों की होगी।
- योजनांतर्गत पंजीकृत कृषक अधिसूचित फसल प्याज को किसी भी अधिसूचित मंडी/उपमंडी/प्रांगण में विक्रय करने के लिए स्वतंत्र होगा, परन्तु किसानों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान उसी जिले से किया जायेगा, जिस जिले में कृषक का पंजीयन है।

अतः उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्थाएँ पोर्टल पर करने का कष्ट करें।
संलग्न - उपरोक्तानुसार।


(पंजा अहमद किदवाई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

जिला - मंडी समिति -

मा.भु.यो / कृ.प्रो.यो. / 2019 / 03 / 3952

भोपाल, दिनांक 31 मई 2019

तल्लिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक एवं आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल
3. प्रमुख सचिव, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग भोपाल।
4. कलेक्टर जिला - (समस्त)।
5. संयुक्त/उप संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय- (समस्त)।
6. भारसाधक अधिकारी/नोडल सचिव, कृषि उपज मंडी समिति- जिला -।

आयुक्त सह संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल